पत्रांक :–3/यो.1–06/2026 (उ0शि0) 138/उभट/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 19/08/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत डिग्री कॉलेज, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के फर्निसिंग कार्य हेतु रू0 2,48,64,300/– (दो करोड़ अड़तालीस लाख चौसठ हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 2,00,00,000/– (दो करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति संबंध में।**

प्रसंगः– 1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 287/बजट दिनांक 16.03.2026
2. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची का पत्रांक 1844(नि0) दिनांक 03.07.2026

आदेश– स्वीकृत ।

झारखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृहत्तर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Gross Enrollment Ratio (GER)के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत डिग्री कॉलेज, लिट्टीपाड़ा, पाकुड के स्थापना की स्वीकृति प्रदान किया गया है। डिग्री कॉलेज, लिट्टीपाड़ा, पाकुड का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं हस्तांतरण हेतु प्रक्रियाधीन है।

2. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पत्रांक 466 (नि0) दिनांक 20.02.2026 के द्वारा सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत डिग्री कॉलेज, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के फर्निसिंग कार्य हेतु रू0 2,48,64,300/– (दो करोड़ अड़तालीस लाख चौसठ हजार तीन सौ रूपये) मात्र के डी0 पी0 आर0 पर Estimate No. 813/T.A/H.E/ JSBCCL/2025-26, Page No. 343 dated 20.02.2026 से तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102--विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 500.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

4. वित्तीय वर्ष 2026–27 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत डिग्री कॉलेज, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के फर्निसिंग कार्य हेतु रू0 2,48,64,300/– (दो करोड़ अड़तालीस लाख चौसठ हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 2,00,00,000/– (दो करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. स्वीकृत राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–BP-उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड–21S220203796BP010678 (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या– 1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

8. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

10. सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी0 एल0 खाता–8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

11. उक्त योजना का अनुश्रवण कुलपति, सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के द्वारा किया जायेगा, जो समय–समय पर कार्य की गुणवत्ता की जॉच कराते हुये प्रतिवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी उक्त विषयांकित योजना के क्रियान्वयन का समय–समय पर समीक्षा करते हुए गहन अनुश्रवण किया जायेगा।

12. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

19.8.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–06/2026 (उ0शि0)138/सभा/रॉची, दिनांक– 19/08/2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.8.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–06/2026 (उ0शि0)138/सभा/रॉची, दिनांक– 19/08/2026

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका /कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.8.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(समीर कुमार)	(राम सुचित कुमार)	(सुधीर कुमार)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव